

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र NO 310/2018

1. भंवरलाल जाति माली
2. उंकार जाति माली
3. गोपाल जाति माली

समस्त पिसरान नन्दाराम माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

राजस्थान सरकार, न्यायालय, केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधि.
पीठासीन अधिकारी : श्री शंकरलाल सैनी (आरएएस)

निर्णय
सत्यमेव जयते

दिनांक 7.2.19

पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित प्रार्थना पत्रका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधि. के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069-72 के खाता स. 1767 के खसरा नम्बर 7197 रकबा 0.14 हैक्ट. भूमि रामदेव, रामपाल, नन्दा बालिगान, औंकार, नाबालिग बरबराही मु.फूली वाल्दा खुद ब.हि.ब.कौम की सा.देह राहिनान मोहम्मद युसुफ मोहम्मद सर्राफ पि.रहीमबक्ष कोम मुसलमान के के स्थान पर भंवरलाल, उंकार, गोपाल, पिसरान नन्दलाल जाति माली का अंकन दुरुस्त करवाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। तहसीलदार केकड़ी से जवाब सरकार तलब किया। तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069-72 के खाता स. 1767 में खसरा नम्बर 7197 रकबा 0.18 है. पर रामदेव, रामपाल, नन्दा बालिगान, औंकार, नाबालिग बरबराही मु.फूली वाल्दा खुद ब.हि.ब.कौम की सा.देह राहिनान मोहम्मद युसुफ मोहम्मद सर्राफ पि.रहीमबक्ष कोम मुसलमान सा.देह मूर्तहीन दर्ज है। संलग्न जमाबन्दी है। एव मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2548 रकबा 0.18 है. से वर्तमान खसरा नम्बर 7197 रकबा 0.18 है. बना है। वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खाता स. 1411 में खसरा नम्बर 2548 पर नामान्तरण स. 722 दिनांक 7.1.83 जयें बेचान से खातेदार व राहिनान रामदेव, रामपाल, नन्दा बालिगान, औंकार, नाबालिग बरबराही मु.फूली वाल्दा खुद ब.हि.ब.कौम की सा.देह राहिनान मोहम्मद युसुफ मोहम्मद सर्राफ पि.रहीमबक्ष कोम मुसलमान के बजाय केता भंवरलाल, उंकार, गोपाल, पिसरान नन्दलाल जाति माली सा.देह दर्ज हुआ है किन्तु संवत 2069-72 की जमाबन्दी खाता स. 1767 में दर्ज अंकन रामदेव रामपाल, नन्दा, बालिगान औंकार नाबालिग बसरबराही मु.फूली वाल्दा खुद ब.हि.ब.कौम की सा.देह राहिनान मोहम्मद युसुफ मोहम्मद सर्राफ पि.रहीमबक्ष कोम मुसलमान मूर्तहीन के स्थान पर भंवरलाल, उंकार, गोपाल, पिसरान नन्दलाल जाति माली सा.देह शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में संलग्न मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी, वादग्रस्त आराजी वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069-72 के खाता स. 1767 के खसरा नम्बर 7197, रकबा 0.18 हैक्ट. भूमि में पत्रावली में दर्ज दस्तावेज अनुसार वर्किंग जमाबन्दी एवं नामान्तरण स. 722 दिनांक 7.11.83 के अनुसार रामदेव रामपाल, नन्दा, बालिगान औंकार नाबालिग बसरबराही मु.फूली वाल्दा खुद ब.हि.ब.कौम की सा.देह राहिनान मोहम्मद युसुफ मोहम्मद सर्राफ पि.रहीमबक्ष कोम मुसलमान मूर्तहीन के स्थान पर भंवरलाल, उंकार, गोपाल, पिसरान नन्दलाल जाति माली सा.देह का अंकन दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार केकड़ी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे। पत्रावली निसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 7.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया व निर्णय शामिल पत्रावली किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)